APP-A
Crim-1

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

रिमाण्ड 18.4.19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

[illegible] बनाम [illegible]

[illegible]

किस्म मुकदमा [illegible] नम्बर 146/2019 सन् 20 19 ( ) [illegible]

225 राज. काश्तकारी अधिनियम

2019/00146

तारीख / पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री रामदेव गुर्जर श्री	

18.4.19

यह अपील श्री रामदेव गुर्जर एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 07.05.2018, प्रकरण संख्या 97/2018 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकम हम प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट की गई बहस पर एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परि सीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार जाती है। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 जा.दी. व धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम एवं अपील में बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी चुन्नीलाल पुत्र सूरता के पक्ष में दिनांक 06.11.1970 का पंजीकृत विक्रय पत्र है एवं मौके पर निष्पादनकर्मा द्वारा कब्जा सम्भलाया गया है तब से पूर्वाधिकारी के फौत होने के पश्चात प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2030 से 2033 से स्पष्ट प्रमाण है कि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा सतत व निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है। उक्त खसरा गिरदावरी को अजमेर जिले में रिकार्ड ऑफ राईटस का अधिकार दिया गया है। रेस्पोडेन्टस 2/1 से 2/3 विरासत नामान्तकरण खुलवाने पर आमादा हैं एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वर्णित आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं एवं प्रार्थीगण को मौके स बेदखल करने पर आमादा होने पर अप्रार्थी संख्या 03, 04 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें ताकि प्रार्थीगण के अधिकार सुरक्षित रह सकें एवं विवादित आराजी बाबत् वाद की बाहुल्यता नहीं बढें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा आर.आर.टी. 2002 (1) पेज 111, आर.आर.टी. 2001 (1)पेज 49, आर.आर.डी. 2001 पेज नम्बर 509 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम दिनांक 07.05.2018 को प्रस्तुत किया गया किन्तु आदिनांक तक उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया हैं जबकि राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण लगभग 01वर्ष के पश्चात भी नहीं किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री	

है। यदि इसी अवधि के मध्य यदि विवादित आराजी का विरासती नामान्तकरण खुल जाता है एवं विवादित अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल हो जाती है तो प्रथम दृष्टया अपीलांटस को क्षति होती है। प्रार्थना पत्र का लगभग 01 वर्ष की अवधि में निस्तारण नहीं किया जाना विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब/बहस हेतु नियत हैं एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए, अपील का निस्तारण इसी स्तर करते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक पूर्व खसरा नम्बर 171 रकबा 76 बीघा 15 बिस्वा में से वर्तमान खसरा नम्बर 386 रकबा 38 बीघा वाकै ग्राम फलोदा तहसील किशनगढ़ के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावे। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय का भिजवायी जावे। मिसलफैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर